न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (जिला. पाली)

लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 104/2015

वादी :-	बनाम	प्रतिवादी :-
1. बुधा पुत्र अगरा		1. डावरराम पुत्र पुखाराम
2. भोलाराम पुत्र बुधाराम		2. भीयाराम पुत्र पुखाराम
3. दुदाराम पुत्र बुधाराम		3. विशनाराम पुत्र मोहन
जाति–जाट, निवासी– झुझण्डा		4. दिनेश पुत्र मोहन
तह.-जैतारण, जिला–पाली(राज.)		जाति–जाट, निवासी– झुझण्डा
		तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 01/06/2015

उपस्थितः. 1. वादी स्वयं उपस्थित ।

2. प्रतिवादी उपस्थित।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 01/06/2015

राज्य सरकार के आदेशानुसार अटल सेवा केन्द्र – संगावास पर आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट'' में वादीगण ने एक राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा– झुझण्डा, तहसील–जैतारण (जिला–पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 213, 234 से 236 कुल किता–3 कुल रकबा 145–05 बीघा की भूमि आई हुई हैं। उक्त भूमि में खसरा नम्बर 213, 214 से 236 में जमाबन्दी सम्वत् 2047–50 में बुधा, पुखा, मोहन बाबू पि0 अगरा 1/5 कौम–जाट दर्ज था। किन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2051–54 बनाते वक्त पुखा मोहन बाबू पि0 अगरा 1/5 दर्ज हो गया। पुखा मोहन बाबू पि0 अगरा 1/5 के हिस्सा में साथ में बुधा (जो कि फौत हो गया हैं) के वारिसान भोलाराम दूदाराम पि0 बुधाराम को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें। वादी का वाद दर्ज किया जाकर आपस में समझाईश की गई। पक्षकारान् द्वारा राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा में वाद में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया गया। राजीनामा तसदीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा मजमा–ए–आम लोक अदालत शिविर– संगावास में जानकारी भी प्राप्त की गई। जमाबन्दी बनाते वक्त नाम दर्ज नहीं होने से पुखा सोहन बाबू पि0 अगरा 1/5 के साथ बुधा (फौत) होने से इनके वारिसान भोलाराम, दूदाराम पि0 बुधाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः माफिक राजीनामा तस्दीक सुदा एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा– झुझण्डा, तहसील–जैतारण (जिला–पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 213, 234 से 236 कुल किता–3 कुल रकबा 145–05 बीघा में पुखा मोहन बाबू पि0 अगरा के 1/5 हिस्से के साथ भोलाराम दूदाराम पि0 बुधाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अलम दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 01/06/2015 को आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015 शिविर अटल सेवा केन्द्र **सांगावास** में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– **श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0**

वादी :– बनाम प्रतिवादी :–

1. बुधा पुत्र अगरा
2. भोलाराम पुत्र बुधाराम
3. दुदाराम पुत्र बुधाराम

जाति–जाट, निवासी– झुझण्डा
तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

1. डावरराम पुत्र पुखाराम
2. भीयाराम पुत्र पुखाराम
3. विशनाराम पुत्र मोहन
4. दिनेश पुत्र मोहन

जाति–जाट, निवासी– झुझण्डा
तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 104/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....–........ व हाजरी स्वयं वादी उपस्थित मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी उपस्थित मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा तस्दीक सुदा एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा– झुझण्डा, तहसील–जैतारण (जिला–पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 213, 234 से 236 कुल किता–3 कुल रकबा 145–05 बीघा में पुखा मोहन बाबू पि0 अगरा के 1/5 हिस्से के साथ भोलाराम दूदाराम पि0 बुधाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तद्‌नुसार राजस्व रेकर्ड में अलम दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र सांगावास में आज तारीख 01/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

मोहर

मुद्धई	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील		
खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		
मिजानः–		

मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील		
खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		
मुत्फरिक		
मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner